निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 अग्रहायण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1732) पटना, सोमवार, 24 नवम्बर 2025

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

24 नवम्बर 2025

सं० सं0का0–01 / वि0मं0 (प्रोटेम स्पीकर) 01–05 / 2025–**831**—बिहार राज्यपाल का दिनांक **24.11.2025** का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण को सूचना के लिये इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

''भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आरिफ मोहम्मद खां, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जिनके समक्ष विधान सभा के ऐसे सदस्य, जिन्होंने शपथ या प्रतिज्ञान नहीं किया हो, अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे।

पटना,
दिनांक–24.11.2025

आरिफ मोहम्मद खां,
राज्यपाल, बिहार।''

(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

---

24 नवम्बर 2025

सं० सं0का0–01 / वि0मं0(प्रोटेम स्पीकर)01–05 / 2025–**832** / अधिसूचना संख्या–831 दिनांक–24.11.2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

The 24th November 2025

No.-P.A.-01/V.M.(Protem Speaker)-01-05/2025-***831***—The following order of the Governor of Bihar dated the **24.11.2025** is hereby published for general information :

"In exercise of the powers under Article 188 of the Constitution of India, I, Arif Mohammed Khan, Governor of Bihar, hereby appoint The Speaker, Bihar Legislative Assembly to be the person, before whom members of the said Assembly who have not made and subscribe such oath or affirmation shall, after such election, make and subscribe the same.

Patna,
The 24.11.2025

Arif Mohammed Khan,
Governor of Bihar."

(Rajesh Kumar)
Additional Secretary to Government.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)1732-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in